KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

I.D. NO:- **050300312** Block/Sector:- **NRI CITY**

Plot/House:- **GH-1** SCHEME : **NON SCHEME**

Permit Date:- **02/11/2012** Application Date:-**05/03/2012**

Permit No:-**942/BHAWAN /2011-12**

Area (Place):- **KHYORA KATRI ,KANPUR**

Land Usage:-**RESIDENTIAL (GROUP HOUSING)**

Applicant'sName- **VINAYAK SHREE REAL ESTATE PVT. LTD.**

PresentAdresss :- **8/226 3rd FLOOR SGM PLAZA ARYA NAGAR, KANPUR**

Sanction vide order dated: **30/10/2012 V.C.** build granted as per sanctioned building Plan enclosed subject to the condition as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Vaild for five years the date of sanction for fresh map/ one year in Case Of renewal.

Authorised Signatory
आशीष शिवपुरी
नगर नियोजक
(भवन)

Copy to:- Officer inchare (Enforcement)alonghwith sanctioned copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्ते

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भॉति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यो के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य हैं।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहां पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
6. वृक्षारोपण ,रेनवाटर हार्वेस्टिंग,एवं सोलर सिस्टम का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
7. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा , तदोपरान्त ही भवन में अध्यासन की कार्यवाही करनी होगी।
8. भूकम्परोधी निर्माण एवं संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अध्याय 13 में वर्णित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करना होगा तथा डिजाईन ड्राइंग सर्टिफिकेट अर्हता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तथा समस्त निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में कराना होगा।
9. प्रदत्त स्वीकृति मात्र कन्सोर्शियम आफ विनायक श्री रियल इस्टेट प्रा0लि0 के लिए तथा कान्सोर्शियम के स्वामित्व वाली भूमि पर ही मान्य होगी, अन्य व्यक्तियो के भूमि पर नहीं/स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कन्सोर्शियम की भूमि के सीमांकन की भू–राजस्व विभाग के माध्यम से विकासकर्ता को स्वयं करानी होगी, भू–स्वामित्व सम्बन्धी किसी विवाद की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
10. डी0पी0आर तथा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय सूचित की गयी समस्त शर्तो का अनुपालन भी यथावत सुनिश्चित करना होगा।
11. दिये गये शपथ पत्र के कम पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र 06 माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।
12. सभी विभागो से प्राप्त अनापत्ति में दिये गये शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
13. कानपुर नगर में गंगानदी का एच0एफ0एल0 113.465मी0 है, उसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त निर्माण कार्य कराना होगा।
14. किसी भी शर्ते का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

15- परमिट सं० 247/1078/भवन/9-10 दिनांक 28.12.2010 द्वारा स्वीकृत समूह-आवास मानचित्र निरस्त माना जायेगा।

Authorised Signatory

आशीष शिवपुरी
नगर नियोजक
(भवन)